

प्रेषक,

आयूशी गोस्वामी,
सिविल जज (जू०डि०)/
त्वरित न्यायालय कक्ष सं०-02
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् अवनीश कुमार जयसवाल ,
डिप्टी रजिस्ट्रार (एम०),
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश महोदय,
फर्रुखाबाद।

विषय - पत्र संख्या 18338/IV-4999 (Loose)/Admin(A-4)दिनांकित 13-12-2019 के सन्दर्भ में
की गयी आख्या के संबंध में आपत्ति का उत्तर।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 1295/Admin(Services)/2020 के आदेशानुसार सिविल जज (जू० डि०)(एफ० टी० सी०)(महिलाओं के विरुद्ध अपराध)फर्रुखाबाद के पद पर कार्यरत है। प्रार्थिनी पत्र संख्या 18338/IV-4999 (Loose)/Admin(A-4)दिनांकित 13-12-2019 के सन्दर्भ में की गयी आख्या के संबंध में आपत्ति का उत्तर देते हुए अवगत कराना चाहती है कि प्रार्थिनी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की एल० एल० एम० (जनरल) 2018-2020 की विद्यार्थी रही है जिसका कोर्स नियमित रहा है। प्रार्थिनी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर पूरा कर चुकी है। प्रार्थिनी 02-12-2019 से आयोजित होने वाली एल० एल० एम० तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित हुयी थी। प्रार्थिनी ने सर्विस के दौरान किसी प्रकार के अध्ययन अवकाश का उपभोग नहीं किया है। प्रार्थिनी का चतुर्थ सेमेस्टर का सत्र 2019-2020 तक नियत था। दिनांक 08-03-2020 से पहले चतुर्थ सेमेस्टर के दौरान प्रार्थिनी की उपस्थिति शून्य थी। परन्तु ऑनलाईन प्रारूप में संचालित टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21-08-2020 के अनुसार प्रासंगिक अध्यादेशों में निहित प्रावधानों में छूट है। मेरा एल० एल० एम० का पाठ्यक्रम एल० एल० एम० अध्यादेशों द्वारा नियंत्रित है। एल० एल० एम० अध्यादेश का नियम 5 (B) उपस्थिति की आवश्यकता से संबंधित है और ऊपर बतायी गयी अधिसूचना द्वारा अनिवार्य उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय को आख्या के संबंध में आपत्ति के उत्तर से अवगत कराने की कृपा करे।

सादर,

दिनांक 22-07-2021

भवनीया,
22/07/21

(आयूशी गोस्वामी)

सिविल जज (जू०डि०)/त्वरित न्यायालय
कक्ष सं०-02 ,फर्रुखाबाद।

माननीय जनपद न्यायाधीश
सं०-1661/XX दिनांक- 22.07.2021
संलग्निका

R.M.Rai

11/जनपद न्यायाधीश

संलग्नक-
22.7.2021

- 1.Notification of B.H.U.
2. L.L.M. Ordiance
- 3.Syllabus of L.L.M